न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः दिनेश कुमार गौतम.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)।

सी0एन0आर0 नं0–यू0पी0एल0पी0 070000422026

दाण्डिक निगरानी सं0–196 / 2025

कम्प्यूटर रजि0नं0–03 / 2026

1–सोमी कुमार पुत्र बंश गोपाल,

2–राहुल कुमार पुत्र सोमी कुमार,

निवासीगण ग्राम जमुका, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर–खीरी।

..... निगरानीकर्तागण।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश (शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)।

.....विपक्षी।

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तागण सोमी कुमार व राहुल कुमार ने विद्वान विचारण न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाह्य न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी द्वारा फौजदारी वाद सं0–388 / 2024, राज्य बनाम सोमी कुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 से क्षुब्ध होकर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानी में निगरानीकर्ता पक्ष का कथन है कि वाद के न्याय निर्णय हेतु साक्षी शिवसरन पर जिरह होना आवश्यक है। दिनांक 30.08.2026 को निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मजबूरन साक्षी पर जिरह नहीं कर पाये थे। वगैर जिरह के गुणदोष के आधार पर वाद का निस्तारण हो पाना सम्भव नहीं है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता के द्वारा जिरह हेतु दिया गया प्रार्थना–पत्र निरस्त करके भूल की है। फैसला विचारण न्यायालय नियमों व तथ्यों के विपरीत है और खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाये। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 04.10.2025 निरस्त किया जाये। निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता को साक्षी शिवराम पर जिरह करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. विपक्षी द्वारा उपरोक्त निगरानी में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, परन्तु विपक्षी विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से उपरोक्त निगरानी को हर्जे पर स्वीकार करने की याचना की गयी है।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश सही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि–अनुसार पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को विस्तारपूर्वक सुना गया प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली पर उपलब्ध विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

6. अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04.11.2025 किसी अशुद्धता, अविधिकता तथा निष्कर्ष की अनौचित्यता से ग्रसित है?

7. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.10.2025 मय शपथ–पत्र के माध्यम से यह कथन किया है कि साक्षी शिवसरन दिनांक 04.01.2025 से उपस्थित नहीं आया है। इसलिए उस पर जिरह नहीं हो सकी। इससे पूर्व जब साक्षी शिवराम न्यायालय में उपस्थित आया, तो न्यायालय में व्यस्तता के कारण जिरह नहीं लिखी जा सकी। दिनांक 30.08.2025 को वादी शिवसरन उपस्थित आया, लेकिन उस दिन अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हो सके और उनकी हाजिरी माफी प्रार्थना–पत्र दिया गया था, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दोपहर समय 2:30 बजे तक प्रतीक्षा की, लेकिन जिरह नहीं हो सकी और अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब हो गया और लूजमोसन व उल्टी की शिकायत हो गयी और प्रार्थी को जाना पड़ा, इस कारण अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं हो सकी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जानबूझकर साक्षी पी0डब्लू01 शिवसरन पर जिरह करने में लापरवाही नहीं की है और न्यायालय ने जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। न्यायहित में प्रार्थीगण को साक्षी पी0डब्लू01 शिवसरन पर जिरह करने का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षी शिवसरन की मुख्य परीक्षा दिनांक 19.04.2023 को अंकित की गयी थी। इसके पश्चात नियत दिनांक 20.05.2023 से 30.08.2025 को भी वादी मुकदमा न्यायालय में हाजिर आया था। उसके हस्ताक्षर आदेश–पत्रक पर उपरोक्त तिथियों पर अंकित है, परन्तु बचाव पक्ष के द्वारा साक्षी से जिरह नहीं की गयी है, जिसका कोई भी विश्वसनीय कारण अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं दर्शाया गया है।

आदेश–पत्रक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी शिवसरन दिनांक 20.05.2023 से दिनांक 30.08.2025 तक लगभग 11 तारीख पेशियों पर वह न्यायालय में जिरह हेतु उपस्थित रहा, परन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा 11 तारीख पेशियों पर भी साक्षी से जिरह नहीं की गयी। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष काा जिरह का अवसर साक्षी शिवसरन से समाप्त किया गया।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 30.08.2026 को निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण साक्षी पर जिरह नहीं कर पाये थे। वगैर जिरह के गुणदोष के आधार पर वाद का निस्तारण हो पाना सम्भव नहीं है। विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता के द्वारा जिरह हेतु दिया गया प्रार्थना–पत्र निरस्त कर किया गया है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किये बिना पारित किया गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी मु0 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2025 निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये। पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय में दि0 22.07.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक–15.07.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–15.07.2026

(दिनेश कुमार गौतम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय मोहम्मदी,
जिला लखीमपुर–खीरी।
Jo Code UP1845